

बिहार सरकार
पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग
सं०सं०-पि०व०/छात्रवृत्ति-35-18/2011-1554

प्रेषक,

सुनील कुमार सिंह,
सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

सभी जिला कल्याण पदाधिकारी।

पटना, दिनांक- 30.8.2011

विषय:- अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं को प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत छात्रवृत्ति, अनुसूचित भत्ता एवं अन्य भत्ता संशोधित दर से स्वीकृति करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि भारत सरकार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक-11014/21/2006-BC-1 शिक्षा दिनांक-11.07.2011 द्वारा वित्तीय वर्ष 2011-12 में दिनांक-01.07.2011 के प्रभाव से अन्य पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत अनुसूचित भत्ता को संशोधित किया गया है, जो निम्नवत है :-

क्र०	ग्रुप	पाठ्यक्रम का नाम	अनुसूचित भत्ता का दर (रु० प्रतिमाह)	
			छात्रावासी	दिवाकालीन
1	2	3	4	5
1	A	(i) स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर कोर्स एम०फील, पी०एच०डी०, चिकित्सा (एलोपैथी, भारतीय औषधि एवं अन्य मान्यता प्राप्त चिकित्सा पद्धति), अभियंत्रण, तकनीकी, योजना, आरकिटेक्चर, डिजाईन, फैशन टेक्नोलॉजी, कृषि, पशुपालन एवं संबंधित विज्ञान, प्रबंधन, वित्तीय व्यवसाय, प्रशासनिक प्रबंधन, और कम्प्यूटर साइन्स/एप्लीकेशन में स्नातक एवं स्नातकोत्तर। (ii) व्यवसायिक पायलेट लाईसेंस (हेलीकॉप्टर पायलेट एवं मल्टी इंजन रेटिंग कोर्स) पाठ्यक्रम। (iii) प्रबंधन और चिकित्सा के विभिन्न शाखाओं में स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम। (iv) C.A/I.C.W.A/C.S/I.C.F.A इत्यादि। (v) एम०फील, पी०एच०डी० एवं पोस्ट डॉक्टरेक्टरल प्रोग्राम (D.Litt, D.Sc इत्यादि) (vi) L.L.M	₹750/-	₹350/-
2	B	फार्मसी (बी०फार्मा), नर्सिंग (बी० नर्सिंग), एल०एल०बी०, बी०एफ०एस०, अन्य पारामेडिकल शाखा जैसे पुर्नवास, diagnostics, मास कामनिकेशन, होटल मैनेजमेन्ट और कैंटरिंग, यात्रा/पर्यटन/अतिथ्य प्रबंधन आंतरिक साज-सज्जा, पोषण और dietetics व्यवसायिक कला वित्तीय सेवाएं, (Banking, Insurance, Taxation etc) जिस पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए न्यूनतम अहर्ता कम से कम उच्चतर माध्यमिक (10+2) है, का डिप्लोमा, स्नातक एवं स्नातकोत्तर कोर्स। (ii) वैसे स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम जो ग्रुप-A में नहीं है। जैसे-एम०ए०/एम०एस०सी०/एम०कॉम/एम०एड०/एम० फार्मा इत्यादि।	₹510/-	₹335/-
3	C	वैसे सभी पाठ्यक्रम जो ग्रुप-A एवं B में शामिल नहीं है, जैसे बी०ए०/बी०एस०सी०/बी०कॉम० इत्यादि।	₹400/-	₹210/-
4	D	सभी उच्चतर माध्यमिक स्तर के पाठ्यक्रम जिनके लिए प्रवेश अहर्ता प्रवेशिकोत्तीर्ण (वर्ग-X) है, जैसे उच्चतर माध्यमिक कोर्स (वर्ग-XI एवं XII-सामान्य और व्यवसायिक पाठ्यक्रम) आई०टी०आई० पाठ्यक्रम, पोलिटेक्निक में तीन वर्षीय डिप्लोमा कोर्स इत्यादि।	₹260/-	₹160/-

2. अन्य भत्ते:-

क्र०	विषय	समूह	प्रतिमाह दर
1.	दृष्टिहीन विद्यार्थियों के लिए रीडर चार्ज	ग्रुप A & B	₹175/-
	-	ग्रुप C	₹130/-
	-	ग्रुप D	₹90/-
2.	अध्ययन यात्रा शुल्क		₹900/- प्रति वर्ष
3.	टंकण/मुद्रण शुल्क(शोध पत्र हेतु)		₹1000/- (अधिकतम)
4.	पत्राचार कोर्स हेतु पुस्तक भत्ता		₹900/- प्रतिवर्ष

(2) सी0पी0एल0 कोर्स हेतु छात्रवृत्ति की स्वीकृति भारत सरकार द्वारा दी जाती है। अतः इस कोर्स से संबंधित आवेदन पत्र अपने स्तर से पूर्णरूपेण जांच कर अनुशंसा के साथ विभाग को उपलब्ध कराना आवश्यक होगा।

(3) भारत सरकार से प्राप्त दिशा निर्देश के आलोक में अन्य पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत आवंटित राशि की 25% (पचीस प्रतिशत) राशि ग्रुप "डी0" में वर्णित कोर्स हेतु छात्रवृत्ति की स्वीकृति पर व्यय किया जायेगा।

अतः अनुरोध है कि भारत सरकार के दिशा निर्देश के आलोक में अन्य पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत छात्रवृत्ति, अनुरक्षण भत्ता एवं अन्य भत्ता स्वीकृत/भुगतान करने की व्यवस्था की जाय। विस्तृत दिशा निर्देश विभागीय वेबसाइट "<http://bcebcwelfare.bih.nic.in>" (सूचना) पर देखा जा सकता है।

विश्वासभाजन

ह०/-

(सुनील कुमार सिंह)

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक- पि०व०/छात्रवृत्ति-35-18/2011- 1554

पटना,दिनांक- 30.08.2011

प्रतिलिपि-मि० शोमेश, क्वाडिनेटर, एन०आई०सी० सूचना एवं प्रावैधिकी विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

उनसे अनुरोध है कि विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने की कृपा की जाय।

30/8/11

(सुनील कुमार सिंह)

सरकार के उप सचिव।